भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण
24, तिलक मार्ग, नई दिल्ली

राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण की 391वीं बैठक का कार्यवृत्त
स्थान - राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण सम्मेलन कक्ष
तिथि और समय -12 मई, 2023 अपराह्न 01.30 बजे
******

बैठक में निम्नलिखित ने भाग लिया:

1. प्रो. किशोर के. बासा, अध्यक्ष, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण
2. प्रो. एम. कैलाश राव, अंशकालिक सदस्य, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण - वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से।
3. श्री भास्कर वर्मा, सदस्य सचिव, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण

कार्यसूची संख्या 01
390वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।
एनओसी आवेदनों पर विचार:

ऑनलाईन मामले:

मामला संख्या 01

(मैसर्स इरविन इंफ्रा लिमिटेड अपने निदेशक मुकेश गुप्ता, 3, मीरदर्द रोड, गांधी मार्किट, नई दिल्ली)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में 4348/बी-2, वेस्टर्न पार्ट, गली नं. 4सी, मदन मोहन स्ट्रीट, अंसारी रोड, दरिया गंज, नई दिल्ली में **17.99 मीटर** की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ बेसमेंट + स्टिल्ट + जीएफ + 3 मंजिल के साथ बेसमेंट = स्टिल्ट = जीएफ = एफएफ = एसएफ = टीएफ = 74.467 वर्गमीटर के तल क्षेत्र, गहराई = 2.90 मीटर के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, दिल्ली की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 02

(मैसर्स इरविन इंफ्रा लिमिटेड अपने निदेशक मुकेश गुप्ता, 3, मीरदर्द रोड, गांधी मार्किट नई दिल्ली)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में 4348/बी-2, ईस्टर्न पार्ट, गली नं. 4सी, मदन मोहन स्ट्रीट, अंसारी रोड, दरिया गंज, नई दिल्ली में **17.99 मीटर** की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ बेसमेंट + स्टिल्ट + जीएफ + 3 मंजिल के साथ बेसमेंट = स्टिल्ट = जीएफ = एफएफ = एसएफ = टीएफ = 76.389 वर्गमीटर के तल क्षेत्र, गहराई = 2.90 मीटर के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, दिल्ली की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

अनुपालन ऑनलाइन मामले

मामला संख्या 01

(वैभव प्रापर्टीज प्राइवेट लिमिटेड, 32, धर्मपुत्रा प्रितम एस्टेटस, डॉ. बी.ए. रोड, दादर ईस्ट, मुम्बई -400014)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में 350/6 तथा 351/6, सायन डिविजन, रोड नं. 29 (ईस्ट) मुम्बई, महाराष्ट्र में **63.65 मीटर** की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ जीएफ + 16 मंजिल के साथ जीएफ = 92.95 वर्गमीटर, प्रथम मंजिल = 100.61 वर्गमीटर, दूसरी मंजिल = 95.49 वर्गमीटर, तीसरी मंजिल = 331.05 वर्गमीटर, चौथी मंजिल = 331.05 वर्गमीटर, पाचवीं मंजिल = 341.70 वर्गमीटर, छठी मंजिल = 331.05 वर्गमीटर, सातवीं मंजिल = 341.70 वर्गमीटर, आठवीं मंजिल = 331.05 वर्गमीटर, नौवीं मंजिल = 357.78 वर्गमीटर, दसवीं मंजिल = 331.05 वर्गमीटर, ग्याहरवीं मंजिल = 357.78 वर्गमीटर, बारहवीं मंजिल = 331.05 वर्गमीटर, तेहरवीं मंजिल = 357.78 वर्गमीटर, चौदहवीं मंजिल = 331.05 वर्गमीटर, पंद्रहवीं मंजिल = 328.37 वर्गमीटर, सोहलवीं मंजिल = 298.72 वर्गमीटर के तल क्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, महाराष्ट्र की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

अनुपालन ऑफलाइन मामले

मामला संख्या 01

(श्रीमती अनीता वाकले पत्नी श्री राम वाकले, वार्ड नं. 09, तहसील लांजी, जिला बालाघाट (मध्य प्रदेश)-481222)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में खसरा संख्या 141/272, पटवारी हल्का संख्या 19/60, गाँव-लांजी, हल्का और तहसील-लांजी, जिला बालाघाट में **07.90 मीटर** की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक आदि) के साथ जीएफ + 1 मंजिल के साथ जीएफ = एफएफ = 46.9 वर्गमीटर के तल क्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, मध्य प्रदेश की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 02

(श्री हेमन्त भोंसले पुत्र स्वर्गीय श्री दत्ताजी राव भोंसले, 1, दयानन्द मार्ग, जिला धार, मध्य प्रदेश- 454001)

आवेदन पर विचार करने के बाद आवेदक को अधिकतम ऊंचाई **07.50 मीटर** (कुल मिलाकर) तक सीमित रखने के लिए कहते हुए मामले को **वापस भेजने** का निर्णय लिया गया।

मामला संख्या 03

(श्री शिनोबिन के. जे. कंगापाराम्बिल, वालाचिरा, पोस्ट ऑफिस त्रिशूर, जिला 680562 केरल)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में री सर्वे नं. 368/9, वार्ड नं. XX, चेरपू गांव, त्रिचूर तालुक, चेरपू पंचायत, त्रिशूर, जिला केरल में **11.30 मीटर** की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ जीएफ + 1 मंजिल के साथ भूतल = 446.51 वर्गमीटर, प्रथम तल = 285.75 वर्गमीटर के तल क्षेत्र के साथ भवन के विस्तार के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, केरल की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 04

(श्री देवाशिस दास, गोपाबंधु लेन, दत्तातोता, समाज आफिस के पास, जिला पुरी, ओडिशा)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में प्लाट नं. 607/1055, खाता संख्या 66/323, मौजा-बीजेबी नगर, यूनिट-29, भूवनेश्वर, जिला-खुर्दा, ओडिशा में **9.55 मीटर** की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ स्टिल्ट + 2 मंजिल के साथ स्टिल्ट = 211.36 वर्गमीटर, प्रथम तल = दूसरा तल = 207.36 वर्गमीटर के तल क्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, ओडिशा की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 05

(श्री पराग तायल सुपुत्र स्वर्गीय महाराज शर्मा तायल, गली सं.-2 आर. के. पुरम, मानपुर रोड काशीपुर, यू.एस. नगर, उत्तराखंड)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में भूखाता सं. 697, खसरा सं.-365 मिन, रकबा-0.008 हैक्टेयर, और 0.027 हैक्टेयर, कुल रकबा-0.035 हैक्टेयर, उत्तराखंड में **08.90 मीटर** की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, लिफ्ट रूम आदि) के साथ जीएफ + 1 मंजिल के साथ जीएफ = एफएफ = 203.11 वर्गमीटर के तल क्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, उत्तराखंड की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 06

(सुनील कुमार लक्ष्मण राव गांदवीकर, धूमल सं. वाडो, गांदवीकर ज्वैलर्स के आगे, डांडीया बाजार, वडोदरा)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में सी.एस. सं. 127, विभाग-बी, टिका नं. 12/4, वडोदरा सिटी, वडोदरा, गुजरात में **14.90 मीटर** की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, आदि सहित) के साथ तलघर + जीएफ + 2 + आंशिक रूप से तीसरे तल के साथ तलघर = 206.53 वर्गमीटर, जीएफ = 156.13 वर्गमीटर, एफएफ = एसएफ = 184.37 वर्गमीटर, टीएफ = 92.22 वर्गमीटर, तलघर के साथ गहराई = 02.80 मीटर के तल क्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, गुजरात की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 07

(अन्नप्पा राकेश वर्मा सुपुत्र सर्मपण राव, मारफत सर्मपण राव 486, स्टुअर्टपुरम, बापतला मंडल, गुंटूर (डीटी), आंध्रप्रदेश-522101)

आवेदन पर विचार करने के बाद आवेदक को अधिकतम ऊंचाई 10.00 मीटर (सब मिलाकर) तक रखे जाने के लिए कहते हुए आवेदन को वापिस भेजने का निर्णय लिया गया।

मामला संख्या 08

(श्री कपिल साहनी और श्रीमती शालिनी शर्मा, ए-1/27 मस्जिद मोठ, पंचशील एन्क्लेव, नई दिल्ली)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में प्लाट सं. ए-1/27, मस्जिद मोठ, पंचशील एन्क्लेव, नई दिल्ली में **17.98 मीटर** की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, आदि सहित) के साथ

तलघर+ स्टिल्ट+जीएफ + 3 मंजिल के साथ स्टिल्ट= जीएफ= एफएफ = एसएफ = 157.47 वर्गमीटर, टीएफ = 149.33 वर्गमीटर, तलघर = 160.47 वर्गमीटर और गहराई = 3.66 मीटर के तल क्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, दिल्ली की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 09

(श्रीमती परूल गोयल और श्री अजय कुमार शर्मा, ए-2/169, सफदरगंज एन्क्लेव, नई दिल्ली)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में ए-2/169, सफदरगंज एन्क्लेव, नई दिल्ली में **18.00 मीटर** की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, आदि सहित) के साथ तलघर+ स्टिल्ट+जीएफ + 3 मंजिल के साथ तलघर = स्टिल्ट= जीएफ= एफएफ = एसएफ = 88.32 वर्गमीटर, टीएफ = 88.03 वर्गमीटर, गहराई = 3.27 मीटर के तल क्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, दिल्ली की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 10

(श्रीमती माया जैन, प्लॉट सं.-94 मालवीया नगर, नई दिल्ली)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में प्लॉट सं.ए-94 मालवीया नगर, नई दिल्ली में **17.98 मीटर** की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, आदि सहित) के साथ स्टिल्ट+जीएफ + 3 मंजिल के साथ स्टिल्ट= जीएफ= एफएफ = एसएफ = टीएफ = 132.05 वर्गमीटर के तल क्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, दिल्ली की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 11

(मैसर्स वेदिक होम्स अपने पार्टनर श्री विनित मितल, ई-2, साउथ एक्सटेंशन, भाग-1, नई दिल्ली के माध्यम से)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में ई-2, साउथ एक्सटेंशन भाग-1, एनडीएसई-1, कोटला मुबारकपुर, नई दिल्ली - 110049 में **17.99 मीटर** की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, आदि सहित) के साथ तलघर+ स्टिल्ट+जीएफ + 3 मंजिल के साथ तलघर = स्टिल्ट=

जीएफ= एफएफ = एसएफ = टीएफ = 125.40 वर्गमीटर, गहराई = 3.66 मीटर के तल क्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, दिल्ली की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

ऑफलाइन मामलो का अनुपालन:

मामला संख्या 01

(श्री नबीलब मुलासब दरगा, जलनगर हुडको पार्क विजयपुर, कर्नाटक)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में प्लॉट सं. 126, एसवाई सं. 304, विजयपुर, बीजापुर, कर्नाटक में **05.82 मीटर** की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, आदि सहित) के साथ जीएफ के साथ जीएफ = 35.00 वर्गमीटर के तल क्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 02

(श्रीमती हजरथमा डी. कोल्हार, मन्नूर कॉलोनी, बसवा नगर, जुमानल रोड, विजयपुर, कर्नाटक)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में सीटीएस सं. 515/22ए, विजयपुर, बीजापुर, कर्नाटक में **07.55 मीटर** की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, आदि सहित) के साथ जीएफ+1 मंजिल के साथ जीएफ = 33.42 वर्गमीटर, एफएफ = 34.59 वर्गमीटर के तल क्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 03

(श्री विजया महनतेश सुपुत्र बसप्पा सज्जन, श्री परमानन्द निलया, संगमेश्वर कॉलोनी-II, भावोसर के पास, बी.डी.ए. पार्क, दरगा रोड, विजयापुर, कर्नाटक)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में सीटीएस सं. 361/1ए/1ए/1ए/1बी/4ए, अजरेकर चौल, मीनाक्षी चौक, बीजापुर, कर्नाटक में **07.45 मीटर** की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक,

आदि सहित) के साथ जीएफ+1 मंजिल के साथ जीएफ = एफएफ = 37.08 वर्गमीटर के तल क्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 04

(श्री वेंकटेश्वरन रंगराज सं. 9/386, कामराजनगर, कट्टूपट्टी गांव, मन्नपराई तालुक, ट्रिचि-621306)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में 35/55ए2, सीथलापक्कम, ताम्बरम, चेंगलपट्टू, तमिलनाडु में **12.92 मीटर** की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, आदि सहित) के साथ जीएफ+2 मंजिल के साथ जीएफ = एफएफ = एसएफ = 72.46 वर्गमीटर, हैडरूम क्षेत्र = 12.73 वर्गमीटर के तल क्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 05

(श्रीमती एम.जयालक्ष्मी डी.सं. 85/108, कामाक्षीअम्मन सन्नति गली, कांचीपुरम)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में 902/2, कांचीपुरम, तमिलनाडु में **7.5 मीटर** की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, आदि सहित) के साथ जी + 1 मंजिल के साथ जीएफ =44.52 वर्गमीटर, प्रस्तावित एफएफ = 44.52 वर्गमीटर, खुला क्षेत्र = 71.74 वर्गमीटर के तल क्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 06

(श्री के.गोपालकृष्णन 117, एसआईएस धनुबी अपार्टमेंट, जयचंद्रा नगर 1st मेन रोड, जल्लादियानपेट मेदवक्कम, चेन्नई-600100)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में 352/1ए1, 352/1ए2,352/1बी पेरूम्बक्कम, तांबरम, चेंगलपट्टू, तमिलनाडु में **20.39 मीटर** की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, आदि सहित) के साथ स्टिल्ट + 5 मंजिल के साथ एफएफ = एसएफ = टीएफ = एफएफ = 670.08 वर्गमीटर, एफएफ = 595.94 वर्गमीटर, विद्युत ट्रांसफार्मर रूम = 28.81 वर्गमीटर, कार्यालय स्थान

क्षेत्र = 49.91 वर्गमीटर स्टिल्ट (पार्किंग) = 601.13 वर्गमीटर के तल क्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 07

(पपीनेनी वेंकटा राधा कृष्णा सुपुत्र सत्यनारायण, दरवाजा सं. 12-3-4, वार्ड सं. 20, ए.जी. कॉलेज रोड, बपटला, गुंटूर जिला, आंध्र प्रदेश-522101)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में प्लॉट सं. 466/1, ए.जी. कॉलेज रोड, गुंटूर, आंध्र प्रदेश में **11.25 मीटर** की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, आदि सहित) के साथ जी + 3 मंजिल के साथ जीएफ = एफएफ = एसएफ = टीएफ = 108.83 वर्गमीटर के तल क्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, आंध्र प्रदेश की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 08

(श्री गंगा राम सुपुत्र श्री इंचा राम, निवासी मौहल्ला खालसा (कटोरातल) हाउस सं.-29, काशीपुर मीट मार्केट के पास, उत्तराखंड)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में खाता सं. 00457, खसरा सं. 262/9 मिन और 262/15 मिन, रकबा-0.013 हैक्टेयर और 0.024 हैक्टेयर, कुल रकबा-0.037 हैक्टेयर, मौजा जसपुर खुर्द, उधम सिंह नगर, उत्तराखंड में **07.50 मीटर** की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, लिफ्ट रूम आदि) के साथ जीएफ + एफएफ के साथ जीएफ = एफएफ = 370.00 वर्गमीटर के तल क्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, उत्तराखंड की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

विशेष कार्यसूची मामला

(श्रीमती अराधना विक्रम सिंह जलाली ई-8, पंचशिला पार्क, नई दिल्ली-110017)

माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 28-02-2023 के निर्देश के तहत प्राधिकरण द्वारा इस मामले पर आगे विचार किया गया। इस संबंध में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 23-03-2023 में उल्लेख किया है कि राजस्व विभाग की भौतिक सीमांकन रिपोर्ट के

अनुसार, खसरा संख्या 477 में सिरी फोर्ट स्मारक की दीवार और संपति संख्या ई-8, पंचशील पार्क, नई दिल्ली-110017 के बीच मापी गई दूरी 114 मीटर है। माननीय न्यायालय ने अपने दिनांक 23-03-3023 के आदेश द्वारा आवेदक को 2 दिनों की अवधि के भीतर भवन योजना दिनांक 11.03.2014 प्रस्तुत करने का निर्देश दिया और कहा कि इसके बाद प्रतिवादियों को एनओसी पर विचार करने के लिए 2 दिन का समय लगेगा। हालॉकि, उसी के संबंध में प्राधिकरण ने अपने पत्र दिनांक 28.03.2023 के माध्यम से आवेदक से भूतल और 3 मंजिलों वाली भवन योजना प्रस्तुत करने का अनुरोध किया। इस पत्र के संबंध में आवेदक ने बिल्डिंग प्लान दिनांक 05.04.2023 को प्रस्तुत किया। उस पर विचार किया गया है और प्राधिकरण ने ई-8,पंचशील पार्क, नई दिल्ली में कुल ऊंचाई 18.00 मीटर (मुमटी, पैरापेट, जल भंडारण, टैंक आदि सहित) के साथ बेसमेंट + स्टिल्ट + जीएफ + 3 मंजिलों के साथ स्टिल्ट = जीएफ = एफएफ = एसएफ = टीएफ = 273.72 वर्गमीटर, बेंसमेंट = 225.41 वर्गमीटर और गहराई = 3.0 मीटर के तल क्षेत्र के साथ आवासीय भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की सिफारिश की है। एनओसी सक्षम प्राधिकारी दिल्ली की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।